

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 77/2017 वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

- 1- श्री भेरूलाल पिता भोलीराम गाडरी निवासी भाणुजा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- श्रीमती रम्भाबाई बेवा भोलीराम गाडरी निवासी भाणुजा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- श्रीमती चान्दीबाई पुत्री भोलीराम गाडरी निवासी भाणुजा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- श्रीमती राधीबाई पुत्री भोलीराम गाडरी निवासी भाणुजा तह. बड़ीसादड़ी

- वादीगण

॥ बनाम ॥

- 1- श्री मांगीलाल पिता नवला गाडरी निवासी भाणुजा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा भाणुजा पटवार हल्का भाणुजा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- श्री भेरूलाल पुत्र भोलीराम 1/4 चांदी पुत्री भोलीराम 1/4 रम्भा पत्नी भोलीराम 1/8 हन्सु पत्नी भोलीराम

1/8 राधी पुत्री भोलीराम 1/4 गायरी सा. देह. खातेदार

| आ. नं.  | रकबा   |
|---------|--------|
| 1526/1. | 0.2160 |
| 1       | 0.2160 |

- 2- श्री मांगीलाल पुत्र नवला गायरी सा. देह. खातेदार

| आ. नं.   | रकबा   |
|----------|--------|
| 1526 मी. | 0.4640 |
| 1        | 0.4640 |

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 10.7.2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

बिन्दु बाला राजावत  
आर.ए.एस  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

क्रमांक : राजस्व/2023/ 90

दिनांक : 14.7.2023

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

बिन्दु बाला राजावत  
आर.ए.एस  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 77/2017 वादपत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. 1955.

- 1- श्री भेरूलाल पिता भोलीराम गाडरी निवासी भाणुजा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- श्रीमती रम्भाबाई बेवा भोलीराम गाडरी निवासी भाणुजा तह. बड़ीसादड़ी
- 3- श्रीमती चान्दीबाई पुत्री भोलीराम गाडरी निवासी भाणुजा तह. बड़ीसादड़ी
- 4- श्रीमती राधीबाई पुत्री भोलीराम गाडरी निवासी भाणुजा तह. बड़ीसादड़ी

— वादीगण

|| बनाम ||

- 1- श्री मांगीलाल पिता नवला गाडरी निवासी भाणूजा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बंटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा भाणुजा पटवार हल्का भाणुजा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- श्री भेरूलाल पुत्र भोलीराम 1/4 चांदी पुत्री भोलीराम 1/4 रम्भा पत्नी भोलीराम 1/8 हन्सु पत्नी भोलीराम 1/8 राधी पुत्री भोलीराम 1/4 गायरी सा. देह. खातेदार

| आ. नं. | रकबा   |
|--------|--------|
| 1526/1 | 0.2160 |
| 1      | 0.2160 |

- 2- श्री मांगीलाल पुत्र नवला गायरी सा. देह. खातेदार

| आ. नं.   | रकबा   |
|----------|--------|
| 1526 मी. | 0.4640 |
| 1        | 0.4640 |

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।  
निर्णय आज दिनांक 10.7.2017 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



बिन्दु बाला राजावत  
आर.ए.एस  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी